भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3172

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

इथेनॉल संयंत्र की स्थापना

3172. डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बाड़ी क्षेत्र में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे स्थापित न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): केंद्र सरकार देश के किसी भी भाग में इथेनॉल संयंत्र/डिस्टिलरी स्थापित नहीं करती है। कोई भी उद्यमी, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से आवश्यक अनुमति/मंजूरी प्राप्त करके देश में डिस्टिलरी स्थापित कर सकता है।

पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत निर्धारित सम्मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु, भारत सरकार ने वर्ष 2018 से 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज सहायता योजनाएँ शुरू की हैं (इन योजनाओं में वर्ष 2021 में अनाज से इथेनॉल उत्पादन को भी शामिल किया गया), ताकि चीनी मिलों/डिस्टिलरियों को देश भर में नई डिस्टिलरी स्थापित करके या मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार करके इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सहकारी चीनी मिलों के लिए एक इथेनॉल ब्याज सहायता योजना भी वर्ष 2025 में अधिसूचित की गई थी, जिसमें उनके मौजूदा गन्ना आधारित

संयंत्रों को बहु-फीड आधारित इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए 6 महीने की आवेदन अवधि निर्धारित की गई थी।

सरकार, इन सभी ब्याज सहायता योजनाओं के तहत परियोजना प्रस्तावकों को बैंको से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान कर रही है जिसके लिए 6% की दर से ब्याज सहायता या बैंकों /वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए ब्याज का 50%, जो भी कम हो, सरकार द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए वहन किया जा रहा है, जिसमें एक वर्ष का अधिस्थगन भी शामिल है।

*****